



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 350 राँची, शुक्रवार,

9 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

26 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-36/2018- 21320 (HRMS)--श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-476/20, चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के माध्यम से उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-84/मनरेगा, दिनांक 19.02.2018 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं -

1. श्री राजीव कुमार मिश्रा दिनांक 10.10.2014 से 05.09.2016 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा के रूप में पदस्थापित थे ।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा योजना अन्तर्गत लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड के बांडु पंचायत में शहरपुर से चेकडेम नाला तक ग्रेड-1 सड़क निर्माण योजना संख्या- 31/RC/2014 की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत योजना के प्राक्कलन के अनुसार सड़क की लम्बाई 1000 मीटर (3280.84) फीट तथा प्राक्कलित राशि 8,87,700.00 (आठ लाख सत्तासी हजार सात सौ) ₹0 है। योजना में बरती गयी अनियमितता एवं सरकारी राशि के गबन के शिकायत के आधार पर योजना की जाँच श्री प्रमोद कुमार झा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़, श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पाकुड़ एवं पुनः विशिष्ट बिन्दुओं पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा द्वारा करायी गयी। जाँच पदाधिकारियों द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कई गंभीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

योजना का प्राक्कलन 3280.84 फीट का बनाया गया, जबकि जाँच में उक्त सड़क की वास्तविक लम्बाई 2290 फीट ही पाया गया है। उक्त प्राक्कलन के आधार पर ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई।

3. मनरेगा मार्गदर्शिका में किसी भी योजना में अभिकर्ता बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। परन्तु श्री राजीव कुमार मिश्रा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा की मिलीभगत से प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, श्री सुरेन्द्र नारायण साहा को विभागीय अभिकर्ता नियुक्त किया गया।

4. वैसे मजदूरों को FTO के माध्यम से पोस्ट ऑफिस खाते में मजदूरी भुगतान किया गया है, जिन्होंने उक्त योजना में कार्य नहीं किये हैं और न ही उनका पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है। साथ ही, मजदूरों को नगद तथा मृत मजदूरों के नाम पर भुगतान किया गया है। यही नहीं, लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत उप डाकघर होने के बावजूद भी कोसों दूर हिरणपुर, उप डाकघर में मजदूरों का फर्जी खाता/फर्जी मस्टर रॉल बनाकर वहाँ के उप डाकपाल की मिलीभगत से लोकधन का गबन किया गया है।

5. इस योजना में आपूर्तिकर्ता द्वारा मेटल एवं मोरम के ढुलाई का गलत विपत्र दिया गया एवं बिना जाँच किये राशि का भुगतान किया गया।

6. भेंडर के साथ मिलीभगत कर भेंडर द्वारा दिए गए फर्जी विपत्र के आधार पर कुल 51,360/- (एकान्व हजार तीन सौ साठ) ₹0 का बिना जाँच किए आपसी मिलीभगत से राशि का भुगतान किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6928(hrms), दिनांक 17.07.2020 द्वारा श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-235, दिनांक 15.12.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित सभी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री मिश्रा के विरुद्ध गठित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3703, दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्री मिश्रा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

उक्त के अनुपालन में श्री मिश्रा के पत्र, दिनांक 20.02.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि उनके पिताजी का देहांत कैंसर जैसे बीमारी से हो गया था तथा उसी दौरान उन्हें अपने नवजात शिशु का ऑपरेशन बनारस से करना पड़ा था। उपरोक्त तथाकथित सभी दोष उनके मानसिक स्थिति के लिए काफी गंभीर था। वे अपने सामर्थ्य एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद का निर्वहन करते रहे हैं।

श्री मिश्रा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में आरोप से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य या कथन समर्पित न कर अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कष्टों को व्यक्त किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV KUMAR MISHRA JHK/JAS/198	श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-476/20, चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ संप्रति-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मिहिजाम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
